14.50 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) TAX AFFAIRS AGAINST BIRLA AND GOENKA GROUP OF CONCENUS.

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, नियम 377 के अधीन बिड़ला परिवार एवं गोयनका परिवार के सम्बन्ध में कुछ तथ्यों की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसका विवरण इस प्रकार है :

1. स्मारिका केस के के सम्बन्ध में सी० बी० आई० ने 3–10–77 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जबकि 21–3–79 तक आरोप-पत्र जारी नहीं किया गया है।

2. श्री बिड़ला के ऊपर विभिन्न मदों के कर की काफी बड़ी राशि बाकी है परन्तु उसका हिसाब सरकार के पास ही नही है। अतारांकित प्रश्न 2911/8 जुलाई, 1977 के उत्तर में 3–2–79 को बताया गया है कि सीमा शुल्क के मद में 31–12–76 तक 18,412 रुपया बाकी था जबकि अतारांकित प्रश्न 5469/29 जुलाई, 1977 के 19–1–79 के उत्तर में 31–12–76 तक 42,107.46 रु० बताया गया है। अतारांकित प्रश्न सं० 2911/8 जुलाई, 1977 के 3–2–79 के उत्तर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बकाया राशि 1,26,80,267 रू० 31–12–67 तक बताया गया है जबकि 5469/29 जुलाई, 1977 के उत्तर में यह राशि 1.21 करोड़ रु० बताई गई है।

3. अतारांकित प्रश्न सं० 9867/10 मई, 1978 के उत्तर में 21–11–78 को बताया गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बिड़ला ग्रुप की कुछ कम्पनियों और कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कतिपय मामले पंजीयित किए हैं, इनमें से अधिकांश मामले निर्णयाधीन हैं। अतारांकित प्रश्न सं० 3229/13–12–78 के उत्तर में साफ इनकार किया गया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच की है। लोकहित के नाम पर अन्य घरानों के नाम भी बताने से इन्कार किया गया जबकि चार कम्पनी का नाम दिया भी गया। यह और भी खेद की बात है कि अतारांकित प्रश्न सं० 2911/8 जुलाई, 1977 के 3–2–1979 के उत्तर में कहा गया है कि मात्र एक मुकदमा सी०बी० आई० की जांच में है और बाकी अपील/पुनरीक्षण याचिका की स्थिति मे पड़े हुए हैं। इसमें उत्तर विरोधात्मक है।

4. अतारांकित प्रश्न सं० 831/18–11–77 के उत्तर में 29–8–78 के अनुसार बिड़ला परिवार पर आयकर के मद में 31–10–77 तक 7.92 करोड़ रुपये, केन्द्रीय उत्पादन कर का 2,51,59,217 रु०, सीमा शुल्क का 48,534.55 रु० तथा व्यक्तिगत हैसियत से उन के परिवार के सदस्यों पर 23.52 लाख रुपया बाकी था। अतारांकित प्र० सं० 171/3 मार्च, 1978 के उत्तर के अनुसार 31–12–77 तक सीमा शुल्क का 15.27 लाख, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का 3.31 करोड़, आयकर का 6.04 करोड़ तथा धन-कर का 1957–58 का 47 हजार रुपया और 1959–60 का 14 हजार रुपया बाकी था। अतारांकित प्रश्न सं० 2911/8 जुलाई 1977 के उत्तर के अनुसार आयकर का 339 लाख, धन-कर 6.82 लाख, दान-कर 0.27 लाख और अतिकर का 24 लाख रुपया बाकी था। जब कि अतारांकित प्रश्न सं० 179/2 मार्च, 1979 के अनुसार 31 दिसम्बर, 1978 को बकाया कर 129.77 लाख और वसूली योग्य नहीं बनी मांगें 197.60 लाख तथा गोयन्का पर 7.43 लाख रुपया बाकी था।

5. अतारांकित प्रश्न सं० 2911/8 जुलाई, 1977 के 3–2–79 के उत्तर के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद कर के सम्बन्ध मे 30 मुकदमे दर्ज किये गये, जिन में 11 मुकदमे अपराधों के मुकदमे थे जिन में उन्हें दोषी पाया गया और 1,30,600 रुपया जुर्माना किया गया। इस अपराध के कारण न तो उनकी कम्पनी को काली सूची में दर्ज किया गया और न बैंकों से कर्ज देना बन्द किया गया, बल्कि उन कम्पनियों को आयात-निर्यात का आदेश भी मिलता रहा।

6. यह भी खेद की बात है कि बिड़ला एवं अन्य बड़े घरानों के लिये 18 फरवरी 1970 को सरकार ने आयोग नियुक्त किया जिस पर 1,66,81,506 रुपया खर्च किया जा चुका है जबकि इस अवधि में कमीशन की मात्र छः बैठकें हुई।

7. विदेश में बिड़ला परिवार की कम्पनी है, जिस की पूंजी का कोई हिसाब-किताब भारत सरकार के पास नहीं है।

जब भी कोई सूचना इस विषय में पूछी गई, तब यह बताया गया कि इस प्रकार की सूचना नहीं दी जाती, जैसा कि अतारांकित प्रश्न सं० 6379/5–8–78 के उत्तर से विदित है।

इस लिये मैं मांग करता हूं कि इन मामलों की जांच एक संसदीय समिति द्वारा की जाये। टैक्स को लेने के लिये कठोर कदम उठाये जाय तथा सरकार और अन्य संस्थायें उन को कोई कर्ज न दें। उन की अचल तथा चल सम्पत्ति की जांच की जाय तथा कम्पनी के खर्चों और उन की शान-शौकत के रख रखाव तथा ऐसे सभी मामलों की जांच की जाये। मैं चाहता हूं कि लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी मिले।